संख्या-12/2020/जी-2-132/दस-2020-604/82टी0सी0-2

प्रेषक,

एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2020**

विषय – राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये स्पेशल फेस्टिवल पैकेज (Special Festival Package**) एवं उसके लिये अग्रिम की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या- F.No.12(2)/2020-EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये एक स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिये अग्रिम भुगतान अनुमन्य किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सुविधा का उद्देश्य केन्द्रीय कर्मचारियों को त्योहारों से सम्बन्धित व्यय करने हेतु सक्षम बनाना है तथा साथ ही व्यय को प्रोत्साहित किया जाना है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान हो सके। भारत सरकार द्वारा लागू की गयी उक्त योजना राज्य कर्मियों के लिये भी लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये स्पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिये अग्रिम अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) यह सुविधा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को अनुमन्य होगी तथा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार के पूर्व सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को रू0 10,000 का अग्रिम स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत किया जायेगा, जो ब्याज रहित होगा।

(3) अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्री लोडेड रू पे कार्ड के द्वारा दी जायेगी, जो कि 10 से अनधिक किस्तों में वसूलनीय होगी।

(4) कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सरकारी कर्मचारी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आवेदक के लिये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से प्री लोडेड रू पे कार्ड प्राप्त कर आवेदक को प्रदान कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों के लिये कार्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया अलग से निर्गत की जायेगी।

(5) कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उन सभी त्योहारों के लिये अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक/निर्बन्धित अवकाश की सूची में उल्लिखित है।

2- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,
एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2020/जी-2-132(1)/दस-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।